UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 27.06.2024
थाना पुरवा,जनपद उन्नाव ।

गैर इरादतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.06.2024 को सुमन पत्नी सुनील ग्रा० व पो० बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा थाना पुरवा पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 24/06/24 को समय लगभग 6.30 बजे शाम को मेरा पति सुनील पुत्र गंगाप्रसाद उम्र लगभग 40 वर्ष व गांव के संजय पुत्र राम किशुन नि० बिछिया थाना पुरवा उन्नाव उम्र लगभग 42 वर्ष गुड्डु पुत्र बच्चूलाल ग्रा० व पो० बिछिया थाना पुरवा उन्नाव की बेल्डिंग के दुकान के पीछे हाते में बैठे थे। वहीं पर राजेश उर्फ राजा कटियार पुत्र अज्ञात नि० सकरन थाना पुरवा जनपद उन्नाव की पटाके की लाइसेंसी दुकान जो गुड्डू की दुकान के बगल में है। गुड्डू व राजेश उर्फ राजा में गहरी मित्रता होने के कारण राजेश उर्फ राजा द्वारा गुड्डु के बेल्डिंग के दुकान के पीछे स्थित जीना के नीचे अवैध तरीके से कुछ पटाखा विस्फोटक पदार्थ लापरवाही पूर्व रखा था जिससे अज्ञात कारण व अचानक विस्फोट हो गया। जिससे मेरे पति गम्भीर रुप से झुलस गये व उनके काफी चोटें भी आई जिनको लेकर बिछिया CHC गए जहाँ पर डक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल उन्नाव रिफर कर दिया फिर जिला अस्पताल हलाज हेतु ले गए जहाँ पर मेरे पति को मृत घोषित कर दिगया तथा संजय का इलाज अभी चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुरवा पर मु0अ0सं0 150/24 धारा 286/304 भा0दं0वि0 व 09 बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया, दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम की वृद्धि की गई। आज दिनांक 27.06.2024 को व0उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त श्याम नरायण उर्फ गुड्डू पुत्र बच्चू लाल नि0 ग्राम बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को बिछिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 1. श्याम नरायण उर्फ गुड्डू पुत्र बच्चू लाल नि0 ग्राम बिछिया थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव

2.हे0कां0 सुधाकर सिंह

3.हे0कां0 सर्वेश यादव

प्रेस नोट 02- दिनांक 27.06.2024
थाना दही,जनपद उन्नाव।

नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व छेड़खानी के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.06.2024 को थाना दही पर मु0अ0स0 155/24 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अपहर्ताओं को बरामद किया गया तथा धारा 366/354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बढोत्तरी की गयी । आज दिनांक 27.06.2024 को थाना दही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोहराब साईं पुत्र सलीम साई उम्र करीब 19 वर्ष निवासी सोनवर्षा थाना कुदरा जिला कैमूर भभुआ प्रान्त बिहार को वर्कशाप मोड के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोहराब साईं पुत्र सलीम साई उम्र करीब 19 वर्ष निवासी सोनवर्षा थाना कुदरा जिला कैमूर भभुआ प्रान्त बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम

1 .श्री अनुराग सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दही उन्नाव
2.उ0नि0 राजेन्द्र सिंह
3.का0 कृष्ण प्रताप सिंह
4.का0 विजय कुमार